हिन्दुस्तान
पटना • शुक्रवार • 14 सितम्बर 2018

बिल्डरों के लिए बने सिंगल विंडो सिस्टम

रेरा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

यूं तो रीयल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) की नींव बिल्डरों की मनमानी रोकने और परेशान ग्राहकों को राहत देने के लिए हुई है, मगर रेरा परेशान बिल्डरों की दिक्कतें भी कम करना चाहती है।

रेरा की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है। बिल्डरों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने को कहा गया है, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने और विभिन्न विभागों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें महीनों न भटकना पड़े।

भटकना न पड़े

- रेरा ने समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार को लिखा पत्र
- नक्शा पास कराने और एनओसी लेने में लग जाते हैं महीनों

उधर, तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा न होने और वादे पूरे न किए जाने की तमाम शिकायतें हर दिन रेरा के पास पहुंच रही हैं। वहीं बिल्डरों ने भी अथॉरिटी के सामने अपनी दिक्कत रखी हैं। किसी प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने के लिए फायर सहित कई विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने पड़ते हैं। यदि ऊंचाई ज्यादा होगी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी अनापत्ति लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं सो अलग।

बिल्डरों ने रेरा को बतायी हैं दिक्कतें : रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा का कहना है कि बिल्डरों ने अपनी कई दिक्कतें बताई हैं। इन परेशानियों के निदान के लिए सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए लिखा गया है।